प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.01.2025

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वादी के साथ मारपीट कर फायरिंग करने के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.01.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी एडवोकेट कपिल चन्देला द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया कि अनिल व नितीन शकतपुरा के अन्य 8-10 अज्ञात साथियों द्वारा मुझे घर से खीचकर घर के बाहर मेरे साथ लाठी डण्डों व हथियार से मारपीट की गई। जिससे मैं घायल हो गया तथा मेरे घर के बाहर फायरिंग की गई। जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर धारा 115(2),191(2),191(3),109,352,351(2),351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 29.01.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वादी के साथ मारपीट कर फायरिंग करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त सर्वेश पुत्र श्री राजाराम निवासी डी-2 बलराम नगर लोनी थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को भौपुरा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सर्वेश पुत्र श्री राजाराम उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सर्वेश पुत्र श्री राजाराम उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं अनिल कसाना के दोस्त हूँ। दिनांक 23.01.2025 को अनिल कसाना का जन्मदिन था। जिसमें मैं भी आया हुआ था तथा कपिल चंदेला व अनिल कसाना पहले से ही आपस में अच्छे दोस्त थे और एक साथ काम करते थे लेकिन अब दोनों अलग-अलग हो गये है क्योंकि अनिल कसाना का काम अच्छा चल रहा है तो कपिल चंदेला, अनिल कसाना से चिढ़ता है, उसी दिन रात में कपिल चंदेला गली में खड़ा हुआ था और हमारे गुर्जर समाज को भला बुरा बोल रहा था, जब हमने उससे मना किया तो वो चला गया था, क्योंकि हम लोग शराब के नशे में थे तो मोनू, अनस, अनिल कसाना और मैं तथा हमारे साथी (1) वेदू नागर पुत्र श्री बिश्म्बर सिंह निवासी ए- 43 डिफेंस कालोनी (2) विवेक उर्फ विक्की पुत्र जितेन्द्र निवासी राजपुर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद (3) सागर किशोर पुत्र श्री नन्द किशोर निवासी म0न0 डी-1/465 गली न0 02 अशोक नगर थाना ज्योति नगर दिल्ली व अन्य साथी जो विवेक उर्फ विक्की ने बुलाये थे। जिनके नाम विक्की जानता हैं, हम सब लोग मिलकर कपिल चंदेला के घर गये थे और कपिल चंदेला के साथ मारपीट की थी फिर हम सब लोग वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सर्वेश पुत्र श्री राजाराम निवासी डी-2 बलराम नगर लोनी थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सर्वेश पुत्र श्री राजाराम उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर मारपीट कर फायरिंग करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना कौशाम्बी पर धोखाधड़ी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजाकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वादी व वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 26.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी देवेन्द्र गुप्ता निवासी यूजी-2-11/70 सेक्टर -3 राजेन्द्रनगर साहिबाबाद के द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय द्वारा एकत्रित होकर मेरे व मेरे परिवार के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई है। जिससे मेरे बेटे के काफी चोटें भी आयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर धारा 191(2),191(3),127(2),115(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 29.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वादी व वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने करने वाले प्रकाश में आये 04 अभियुक्तगण 1. हर्ष पुत्र विट्टू सिंह पता म0नं0 878 नियर पंचायती चौपाल पसौंडा थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष, 2. भोला पुत्र रामकुमार नि0 म0नं0 1178 बी ब्लांक मोहन नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष, 3.अफसर पुत्र नजर मोहम्मद पता शिव मंन्दिर के पास पसौंडा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष, 4. कार्तिक पुत्र राजेन्द्र पता भूमियां मंदिर गली नं0 03 पसौडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को करन गेट थाना शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। पूर्व में ही 06 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत हेतु भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपोरक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि चारो अभियुक्तगणों उपरोक्त द्वारा दिनांक 25.01.2025 को अन्य साथियों द्वारा वादी व वादी के पुत्र के साथ गाली–गलौच कर मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. हर्ष पुत्र विट्टू सिंह पता म0नं0 878 नियर पंचायती चौपाल पसौंडा थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
2. भोला पुत्र रामकुमार नि0 म0नं0 1178 बी ब्लांक मोहन नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
3. अफसर पुत्र नजर मोहम्मद पता शिव मंन्दिर के पास पसौंडा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

4. कार्तिक पुत्र राजेन्द्र पता भूमियां मंदिर गली नं0 03 पसौडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।